पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 01/711 तारीख रज्जू 04.11.2008

2008/226

01– किशनलाल पुत्र घनश्याम जाति जाट

02– भजनी पुत्र घनश्याम जाति जाट

03– अमर सिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट

04– रामौतार पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील व जिला अलवर।

–वादीगण

बनाम

01– बालूराम पुत्र भोलाराम जाति नाई

02– रामदयाल पुत्र भोलाराम जाति नाई (मृतक)

2/1– सोहनलाल पुत्र रामदयाल उम्र करीब 30 साल जाति नाई निवासी ढाकपुरी

2/2– नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल उम्र करीब 28 साल जाति नाई निवासी ढाकपुरी

03– यादराम पुत्र लहरी जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील व जिला अलवर

–असल प्रतिवादीगण

04– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर लैण्ड होल्डर

–तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक: 18.10.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए

सहायक कलक्टर (मु०)

Scanned by CamScanner

(12)

कथन किया कि ग्राम ढाकपुरी की आराजी खसरा नम्बर 670/0.27, 671/0.47, 672/0.01, 673/0.22, 674/0.37, 675/0.44, 923/0.29, 924/0.01, 676/1547/0.04, 669/1548/0.08 कुल किता 10 कुल रकबा 2.20 है० में से वादीगण के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी खसरा नं0 674/0.37, 675/0.44, 676/1547/0.04, सालिम व खसरा न0 671/0.47 का 2/3 भाग तरफ उत्तर को बजरिये तकसीम अलग किया जाकर अलग से खाता व लगान कायम किया जावें व वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा न डाले व वादीगण को जबरन बेदखल ना करे व इस आराजी की आबपाशी हेतु जो वादीगण के चाह न0 425 से पाईप लाईन डाली हुई है व कुण्डी बनी हुई है उसको तोडफोड ना करे व आबपाशी करने में बाधा न डाले व इस आराजी को जर्ये रहन बैय हिब आदि के दीगर लोगो को मुन्तकिल ना करे व यथावत स्थिति कायम रखे व बाज रहें। दिनांक 03.09.2000 को जब वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहे थे तो असल प्रतिवादीगण ने मजाहमत की धमकी दी कि अब वो वादीगण को बहामी तकसीम के अनुसार आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे व बेदखल करेगे एवं आबपाशी के लिये जो पाईप लाईन डाली हुई है व कुण्डी बनाई हुई है को तोडफोड करेगे व चाह न0 425 से आबपाश नहीं करने देंगे व आराजी मुतनाजा को दीगर लोगों को रहन बैय हिब आदि के मुन्तकिल करेंगे। इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण द्वारा उन्हें के कथनानुसार कार्यवाही की गई तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगणों ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें वादीगणों के कथन को असत्य बताते हुए स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान राज्य सरकार की ओर से ग्राम संपर्क शिविर 2007 का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत ढाकपुरी में हुए शिविर दिनांक 16.01.2007 को पत्रावली मजमेआम में पेश हुई। इस बाबत वादी एवं प्रतिवादीगणों को जर्ये नोटिस पूर्व में सूचित किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण कैम्प में मजमेआम में उपस्थित आये। प्रतिवादीगण ने लिखित में एक राजीनामानुमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवारे के प्रकरण में उभय पक्ष ने मिल बैठकर आपसी राजीनामा कर लिया है उक्त प्रसंगत आराजीयात

Scanned by CamScanner

में रिकॉर्ड अनुसार हमारा जितना हिस्सा है उसकी पैमाईश करवा दी जावें एवं मुताबिक कब्जा तकासमा कर दिया जावें। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है।

पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का आद्योपान्त अध्ययन करने के पश्चात् उभय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का झगडा/विवाद उत्पन्न न हो तथा पैदावार करने में अडचन पैदा ना हो इस बाबत वाके ग्राम ढाकपुरी की आराजी खसरा नम्बर 670/0.27, 671/0.47, 672/0.01, 673/0.22, 674/0.37, 675/0.44, 923/0.29, 924/0.01, 676/1547/0.04, 669/1548/0.08 कुल किता 10 कुल रकबा 2.20 है० को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं कब्जे के अनुसार मौके पर कुर्रेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार अलवर को तहरीर भेजी गई।

तहसीलदार, मालाखेडा को दिनांक 19.05.2016 को प्रेषित कुर्रे रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण के कुर्रे अलग–अलग परिवारों के अलग अलग बनाकर नक्शे में चिन्हित कर भिजवाने हेतु लिखा गया। तद्पश्चात दिनांक 22.06.2018 से प्रकरण में रिकार्ड व मौके के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवारों के मुताबिक पृथक पृथक कुर्रे तैयार कर निम्नानुसार पेश किये गये है:–

01– किशनलाल, भजनी, अमरसिंह व रामौतार पुत्रान घनश्याम जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी आराजी खसरा नम्बर 675 रकबा 044 है०, 674 रकबा 0.37 है०, 674 रकबा 0.37 है०, 676/1547 रकबा 0.04 है०, 671 रकबा 0.47 है० में से 0.32 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.17 है०

01– बालूराम पुत्र भोला राम जाति नाई राहिन पी.एन.बी. शाखा राजगढ मुताबिक हिस्सा 76/206 साकिन देह खातेदार आराजी खसरा नम्बर 923 रकबा 0.29 है०, व खसरा नम्बर 924 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 673 रकबा 0.22 है०, में से 0.08 है०, कुल रकबा 0.38 है०

02– सोहन लाल, नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल हिस्सा 78/206 राहिन हिस्सा नरेन्द्र कुमार ए.बी.ए.जी. मालाखेडा साकिन देह आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.22 है० में से 0.14 है० व खसरा नम्बर 672 रकबा 0.01 है० व खसरा नम्बर 671 रकबा 0.15 है० व खसरा नम्बर 670 रकबा 0.27 है० में से 0.09 है० कुल रकबा 0.39 है०

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

19

03– मायादेवी पत्नि गिर्राज जाट हिस्सा 52/206 रहन पी.एन.बी. मालाखेडा साकिन देह आराजी खसरा नम्बर 669/1548 रकबा 0.08 है०, 670 रकबा 0.27 है० में से 0.18 है० कुल रकबा 0.26 है०

तहसीलदार मालाखेडा द्वारा भेजी गई कुर्रे रिपोर्ट पर बहस सुनी। कुर्रे रिपोर्ट पर पक्षकारान ने अपनी सहमति व्यक्त की गई एवं मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रेषित कुर्रे रिपोर्ट से हम सहमत है एवं मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रेषित कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 एवं 22.06.2018 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी को तकसीम की जाकर अलग अलग खाते व लगान कायम किये जाते है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र– 5

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

अधिकारी: देवेन्द्र सिंह परमार RAS

उनवान

किशनलाल पुत्र घनश्याम जाति जाट
भजनी पुत्र घनश्याम जाति जाट
अमर सिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट
रामौतार पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील व जिला अलवर।

–वादीगण

बनाम

1– बालूराम पुत्र भोलाराम जाति नाई
2– रामदयाल पुत्र भोलाराम जाति नाई (मृतक)
2/1– सोहनलाल पुत्र रामदयाल उम्र करीब 30 साल जाति नाई निवासी ढाकपुरी
2/2– नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल उम्र करीब 28 साल जाति नाई निवासी ढाकपुरी
03– यादराम पुत्र लहरी जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील व जिला अलवर

–असल प्रतिवादीगण

04– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर लैण्ड होल्डर

–तकमीली प्रतिवादी

दावा बाबत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर : 1/711 तारीख रज्जू 04.11.2008
निर्णय दिनांक : 18.10.2019

वादी की ओर से श्री प्रभू सिंह अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से X अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.10.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रेषित कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 एवं 22.06.2018 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी को तकसीम की जाकर अलग अलग खाते व लगान कायम किये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर (राज०) सत्यमेव जयते

(देवेन्द्र सिंह परमार)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर
सहायक कलक्टर, अलवर (राज०)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपयें पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

Scanned by CamScanner